अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- जिल्हा व सत्र न्यायालय,गडचिरोली दि.०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी ...

**महाराष्ट्र शासन**
**विधि व न्याय विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.६०/का.१२**
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४.

**वाचा :-** १) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार दिनांक ०८.०९.२००३
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१.०२.२०२४
३) शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग, क्रमांक :पदनि- २०२३/प्र.क्र. २५/का.१२, दिनांक २०.०९.२०२३.
(४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश ,जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली यांचे पत्र क्र.जा.क्र. बी-४(१४)/प्रशासन/७५१/२०२४, दिनांक ०८.०२.२०२४.

**शासन निर्णय :-**

संदर्भाधीन दिनांक २०.०९.२०२३रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली, यांच्या आस्थापनेवरील११५ अस्थायी पदांना दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ११५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०.३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

| अ. क्र | पदनाम | दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली पदे | दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची पदे |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ३ |
| १ | अधिक्षक | २ | २ |
| २ | सहायक अधिक्षक | ७ | ७ |
| ३ | लघुलेखक ग्रेड-१ | १ | १ |
| ४ | लघुलेखक नि.श्रे. | ४ | ४ |
| ५ | लघुलेखक श्रेणी ३ | २ | २ |
| ६ | वरिष्ठ लिपिक | १८ | १८ |
| ७ | कनिष्ठ लिपिक | ३९ | ३९ |
| ८ | लघुलिपिक | १ | १ |
| ९ | मुख्य बेलिफ | १ | १ |
| १० | बेलिफ | १२ | १२ |
| ११ | कंत्राटी वाहन चालक | २ | २ |

| अ. क्र | पदनाम | दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली पदे | दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची पदे |
|---|---|---|---|
| १२ | उदकी | २ | २ |
| १३ | सफाईगार | ४ | ४ |
| १४ | कंत्राटी सफाईगार | ३ | ३ |
| १५ | पहारेकरी | २ | २ |
| १६ | कंत्राटी पहारेकरी | ३ | ३ |
| १७ | शिपाई | १२ | १२ |
| | **एकूण** | **११५** | **११५** |

२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिश” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202403151704210912 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

HEMANGI AJIT SHETYE

Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT,
2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c86653344150a5e31030c791f4b, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=7328C41D6A5210C49CCE931861626D508AE4537D7BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE
Date: 2024.03.15 17:13:44 +05'30'

**( हेमांगी शेट्ये )**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.**

**प्रत:-**

१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई .
२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई.
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद .
४. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई .
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई .
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर .
७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर.
८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद.
९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, गडचिरोली.

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली.
११. उप कोषागार अधिकारी, गडचिरोली.
१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई.
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४.
१४. निवड नस्ती (का.१२).